

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (न्याय), जयपुर

फर्द अहकाम

प्रकरण संख्या : 21. १५५ / २०१८ बनाम गो. २०१८
 (२. 6/200) -

कार्यवाही / आज्ञा की दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
11-7-18	<p>पञ्चायती केस को राजाफर्द अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वारा सुनी गई। पाली कादेश पञ्चायती दिनांक 16.7-18 को पेश है।</p> <p style="text-align: right;">(५) अति. कलक्टर (द्वितीय) जयपुर</p>	
16-7-18	<p>पञ्चायती केस को राजाफर्द अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वारा सुनी गई। पाली कादेश पञ्चायती दिनांक 16.7-18 को पेश है।</p> <p>अति. कलक्टर (द्वितीय) जयपुर</p>	
16-7-18	<p>पञ्चायती केस को राजाफर्द अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वारा सुनी गई। पाली कादेश पञ्चायती दिनांक 16.7-18 को पेश है।</p> <p>अति. कलक्टर (द्वितीय) जयपुर</p>	

न्यायालय श्री सुनील भाटी, R.A.S अतिरिक्त कलक्टर (द्वितीय),
जयपुर।

राजस्व रेफरेन्स संख्या : 61/2005

सरकार जरिये तहसीलदार, चाकसू, जिला-जयपुर।

प्रार्थी,

बनाम

1. भौरी पुत्री नन्दा, जाति-मीणा, नि०-नांगललाड, तहसील-चाकसू (मृतक)।
2. लालचन्द पुत्र अमरा, जाति-मीणा, नि०-नांगललाड, तहसील-चाकसू (मृतक)।
2/1 गोविन्दी पत्नी स्व० श्री लालचन्द, जाति-मीणा, निवासी-नांगललाड।
2/2 मोतीलाल पुत्र स्व० श्री लालचन्द, जाति-मीणा, निवासी-नांगललाड।
2/3 सीताराम पुत्र स्व० श्री लालचन्द, जाति-मीणा, निवासी-नांगललाड।
2/4 अशोक पुत्र स्व० श्री लालचन्द, जाति-मीणा, निवासी-नांगललाड।
2/5 तीजा पुत्री स्व० श्री लालचन्द, जाति-मीणा, निवासी-नांगललाड।
2/6 रुकमा पुत्री स्व० श्री लालचन्द, जाति-मीणा, निवासी-नांगललाड।
2/7 मोसा पुत्री स्व० श्री लालचन्द, जाति-मीणा, निवासी-नांगललाड।
3. लक्ष्मीनारायण पुत्र श्री हरबक्श, जाति-मीणा, नि०-नांगललाड।
4. रामनारायण पुत्र श्री हरबक्श, जाति-मीणा, निवासी-नांगललाड।
5. जगदीश पुत्र श्री हरबक्श, जाति-मीणा, निवासी-नांगललाड (मृतक)।
5/1 मंगली पत्नी स्व० श्री जगदीश, जाति-मीणा, निवासी-नांगललाड।
5/2 श्योजीराम पुत्र स्व० श्री जगदीश, जाति-मीणा, निवासी-नांगललाड।
5/3 कालू पुत्र स्व० श्री जगदीश, जाति-मीणा, निवासी-नांगललाड।
5/4 मन्नी पुत्री स्व० श्री जगदीश, जाति-मीणा, निवासी-नांगललाड।
5/5 मोहरा पुत्री स्व० श्री जगदीश, जाति-मीणा, निवासी-नांगललाड।
6. पन्ना पुत्र श्री हरबक्श, जाति-मीणा, निवासी-नांगललाड, तहसील-चाकसू।
7. गोदू पुत्र श्री हरबक्श, जाति-मीणा, निवासी-नांगललाड, तहसील-चाकसू।

अप्रार्थीगण,

(राजस्व रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू-राजस्व
अधिनियम, 1956 सपठित धारा 232 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम, 1955)

उपस्थिति :-

1. श्री विजय चाहर, राजकीय अभिभाषक।
2. अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित अतः इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

निर्णय

दिनांक : 16.07.2018

तहसीलदार, चाकसू द्वारा यह निवेदन किया गया है कि ग्राम-भीकरवाडा



की आसजी खसरा नं० 92 रकबा 17 बिस्वा, आ०ख० नं० 110 रकबा 03 बिस्वा,
आ०ख० नं० 111 रकबा 15 बिस्वा, आ०ख० नं० 112 रकबा 17 बिस्वा, आ०ख०
नं० 113 रकबा 03 बिस्वा कुल कित्ता 05 रकबा 02 बीघा 15 बिस्वा माफी मन्दिर
श्री सालगराम जी वाके देह वहतमाम पुजारी रामप्रसाद वल्द भौरीलाल,

(Handwritten signature)

बदरीनारायण वल्द मथुरालाल कौम ब्राह्मण साकिन देह मु० कदीम खुदकाशत खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2008-2023 में दर्ज थी। भूमि एकीकरण सम्वत् 2021 में आराजी खसरा नम्बर 112 रकबा 17 बिस्वा, आराजी खसरा नम्बर 113 रकबा 03 बिस्वा कुल किता 02 रकबा 01 बीधा परिवर्तित होकर खसरा नम्बर 32 रकबा 04 बीधा 12 बिस्वा बने (जिसमें 01 बीधा भूमि मन्दिर की है)। एकीकरण में यह आराजी मन्दिर के नाम से हटाकर नन्दा अमरा हरबक्ख पि० सालगा, जाति-मीणा, निवासी-नांगललाड के नाम दर्ज कर दी गई। एकीकरण में निजी खातेदारी दर्ज होने के परिणामस्वरूप विरासत नामान्तरकरण संख्या 20 दिनांक 19.04.1973, नामान्तरकरण संख्या 33 दिनांक 02.06.1981, नामान्तरकरण संख्या 34 दिनांक 02.06.1981 जमाबन्दी सम्वत् 2041-2044 में भौरी पुत्री नन्दा हि० 1/3, लालचन्द पुत्र अमरा हि० 1/3 व लक्ष्मीनारायण, रामनारायण, जगदीश, पन्ना, गोदू पि० हरबक्ख हि० 1/3, जाति-मीणा के नाम दर्ज हैं। एकीकरण विभाग को माफी मन्दिर की भूमि अन्य किसी को हस्तान्तरित करने का कोई अधिकार नहीं था। मूर्ति शाश्वत् नाबालिग हैं। अतः मूर्ति की आराजी का हस्तान्तरण राजस्थान काशतकारी अधिनियम, 1955 की धारा 46 के प्रावधानों के विपरित हैं। मूर्ति की आराजी को बिना किसी वैध आदेश के अनुचित रूप से बिना कोई नियमों की प्रक्रिया अपनाये नन्दा अमरा हरबक्ख पि० सालगा के नाम तत्पश्चात् विरासत नामान्तरकरण संख्या 20, 33, 34 से हस्तान्तरित कर दी गई हैं जो अनुचित हैं और बिना वैध और बिना सक्षम आदेशों के किया गया हस्तान्तरण प्रारम्भ से शून्य होने से काबिले निरस्त हैं। अतः विवादग्रस्त आराजी वापिस माफी मन्दिर सालगराम जी वाके देह खुदकाबिज के नाम दर्ज करने के आदेश फरमाये जावे।

उक्त आशय का रेफरेन्स प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत होने पर नियमानुसार अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। फौतगी की रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमानुसार कायमी-मुकामान को रिकार्ड पर लिया गया। कायमी-मुकामान बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अतः इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

विद्वान् राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई। विद्वान् राजकीय



अभिभाषक श्री विजय चाहर ने रेफरेन्स प्रार्थना-पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि ग्राम-भीकरवाडा की आराजी खसरा नं० 92 रकबा 17 बिस्वा, आ०ख० नं० 110 रकबा 03 बिस्वा, आ०ख० नं० 111 रकबा 15 बिस्वा, आ०ख० नं० 112 रकबा 17 बिस्वा, आ०ख० नं० 113 रकबा 03 बिस्वा कुल किता 05

(Handwritten signature)

रकबा 02 बीधा 15 बिस्वा माफी मन्दिर श्री सालगराम जी वाके देह वहतमाम पुजारी रामप्रसाद वल्द भौरीलाल, बदरीनारायण वल्द मथुरालाल कौम ब्राह्मण साकिन देह मु0 कदीम खुदकाबिज खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2008-2023 में दर्ज थी। भूमि एकीकरण सम्वत् 2021 में आराजी खसरा नम्बर 112 रकबा 17 बिस्वा, आराजी खसरा नम्बर 113 रकबा 03 बिस्वा कुल किता 02 रकबा 01 बीधा परिवर्तित होकर खसरा नम्बर 32 रकबा 04 बीधा 12 बिस्वा बने (जिसमें 01 बीधा भूमि मन्दिर की है)। एकीकरण में यह आराजी मन्दिर के नाम से हटाकर नन्दा अमरा हरबक्ख पि0 सालगा, जाति-मीणा, निवासी-नांगललाड के नाम दर्ज कर दी गई। एकीकरण में निजी खातेदारी दर्ज होने के तथा विरासत के नामान्तरकरण के परिणामस्वरूप जमाबन्दी सम्वत् 2058-2061 में भौरी पुत्री नन्दा हि0 1/3, लालचन्द पुत्र अमरा हि0 1/3, लक्ष्मीनारायण, रामनारायण, जगदीश, पन्ना, गोदू पि0 हरबक्ख हि0 1/3, जाति-मीणा के नाम दर्ज हैं और खसरा नम्बर 188 रकबा 0.25 हे0 दर्ज है। एकीकरण विभाग को माफी मन्दिर की भूमि अन्य किसी को हस्तान्तरित करने का कोई अधिकार नहीं था। मूर्ति शाश्वत् नाबालिग हैं। अतः मूर्ति की आराजी का हस्तान्तरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 46 के प्रावधानों के विपरित हैं। मूर्ति की आराजी को बिना किसी वैध आदेश के अनुचित रूप से बिना कोई नियमों की प्रक्रिया अपनाये अप्रार्थी के नाम हस्तान्तरित कर दी गई हैं जो अनुचित हैं और बिना वैध और बिना सक्षम आदेशों के किया गया हस्तान्तरण प्रारम्भ से शून्य होने से काबिले निरस्त हैं। अतः विवादग्रस्त आराजी वापिस माफी मन्दिर सालगराम जी वाके देह खुदकाबिज के नाम दर्ज करने के आदेश फरमाये जावे।

हमने विद्वान राजकीय अभिभाषक श्री विजय चाहर की बहस पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध नकल खतौनी बन्दोबस्त (जमाबन्दी) सम्वत् 2008-2023 के अवलोकन से जाहिर होता है कि विवादग्रस्त आराजी इसके कॉलम सं0 04 नाम उपभोक्ता, पिता का नाम, जाति व निवास स्थान में माफी मन्दिर सालगराम जी वाके देह वहतमाम पुजारी रामप्रसाद-वल्द भौरीलाल व बदरीनारायण वल्द मथुरालाल कौम ब्राह्मण साकिन देह मु0 कदीम व कॉलम सं0 05 नाम काश्तकार में खुदकाबिज दर्ज थी और विवादग्रस्त आराजी की खातेदारी की स्थिति तय करने के लिए जमाबन्दी एक मुख्य एवं विधिक दस्तावेज है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के



(Signature)

अन्तर्गत मूर्ति को शाश्वत् नाबालिग माना गया है और नाबालिग मूर्ति के स्वामित्व की आराजी का हस्तान्तरण/विक्रय आदि नियमानुसार वर्जित हैं। नाबालिग मूर्ति की आराजी को पुजारी के अथवा अन्य के नाम बिना किसी वैध अधिकार के नहीं लगाया जा सकता है। विधिक दृष्टि में एक हिन्दू देव मूर्ति एक शाश्वत अवयस्क हैं। माफी के पुनर्ग्रहण पर खातेदारी अधिकार पुजारी को प्राप्त नहीं हो सकते, परन्तु विधि के परिवर्तन से देव मूर्ति को स्वतः ही खातेदारी अधिकार उसकी खुदकाशत भूमि में प्राप्त हो जाते हैं। माफी मन्दिर सालगराम जी वाके देह खुदकाबिज के नाम दर्ज विवादग्रस्त आराजी को यदि किसी व्यक्ति द्वारा काशत भी की गई है तो वह मूर्ति का कृषि कार्य करने वाला व्यक्ति ही माना जायेगा और उसको खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं। प्रश्नगत प्रकरण में तो स्पष्ट रूप से वादग्रस्त आराजी माफी मन्दिर सालगराम जी वाके देह खुदकाबिज दर्ज हैं। ऐसी स्थिति में किसी काबिज काशतकार की प्रविष्टि को अन्यथा रूप से दोहराने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। इस प्रकार नियमों के विपरित माफी मन्दिर सालगराम जी वाके देह खुदकाबिज के नाम दर्ज भूमि का इन्द्राज एकीकरण में सम्वत् 2021 में निजी खातेदारी में दर्ज किये जाने के तत्पश्चात् विरासत नामान्तरकरण संख्या 20, 33, 34 के परिणामस्वरूप जमाबन्दी सम्वत् 2058-2061 में अप्रार्थीगण के नाम, अनुचित रूप से बिना कोई नियमों की प्रक्रिया अपनाये किया गया इन्द्राज प्रारम्भ से शून्य हैं और शून्य प्रभाव अवैध इन्द्राज का राजस्व अभिलेख में से हटाया जाना नितान्त आवश्यक है। अतः उक्त विवेचनानुसार समस्त इन्द्राजात् निरस्त कर विवादग्रस्त आराजी वापिस माफी मन्दिर सालगराम जी वाके देह खुदकाबिज के नाम दर्ज करने की राय से राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत रेफरेन्स स्वीकार किये जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रेषित हैं। पक्षकार को माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में दिनांक 28.08.2018 को प्रातः 10.00 बजे उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया गया।

निर्णय आज दिनांक 16.07.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।



(Signature)
 (सुनील भाटी)
 अति. कलक्टर (द्वितीय)
 जयपुर